न्यायालय सत्र न्यायाधीश, भदोही।

उपस्थित – श्री अखिलेश दूबे
एच.जे.एस.,
J.O.Code No. U.P. 5725

फौजदारी पुनरीक्षण सं०–48 सन् 2026

C.N.R.No.UPSN01–000959–2026

मुन्ना पाठक उम्र त० 43 वर्ष पुत्र स्व० सत्यदेव पाठक, साकिन अमवाखुर्द, थाना चौरी, जिला भदोही। .....पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. उ० प्र० राज्य
2. मोनू उर्फ सौरभ पाठक उम्र त० 31 साल
3. जगदीश पाठक उम्र त० 55 साल

पुत्रगण चन्द्रशेखर पाठक, साकिन मौजा अमवॉखुर्द, थाना चौरी, जिला भदोही। .....विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी पुनरीक्षण न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय, भदोही द्वारा फौजदारी मुकदमा सं० 4091/2017 सरकार बनाम मोनू उर्फ सौरभ, मुकदमा अपराध संख्या 183/2017, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 326 भारतीय दण्ड संहिता, थाना चौरी, जिला भदोही के मामले में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.02.2026 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण/मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 13.11.2025 बाबत् किये जाने पुनः जिरह अभियोजन साक्षी संख्या 1 मुन्ना पाठक, स्वीकार किया है।

2. संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा मुन्ना पाठक द्वारा दिनांक 10.08.2017 को समय 10.00 बजे सुबह थाना चौरी पर अभियुक्तगण मोनू उर्फ सौरभ पाठक एवं जगदीश पाठक को नामित करते हुए धारा 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया गया कि अभियुक्तगण सरकारी भूमि पर कब्जेदारी की बात को लेकर के हाथ में फावड़ा लेकर गाली गुप्ता देते हुए आये और धारदार हथियार से वादी को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचायी। मौके पर उसका भतीजा किशन पाठक, चाचा रामजी पाठक आये, घटना को देखा, बीच–बचाव किया। अभियुक्तगण जाते समय जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। उसे फावड़ा की गंभीर चोट आयी। मामले में विवेचनोंपरांत, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 एवं 326 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया और तद्नुरूप ही संबंधित परीक्षण न्यायालय द्वारा आरोप विरचन कर मामले का विचारण प्रारंभ किया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत पत्रावली, बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु नियत की गयी। इसी स्तर पर अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 13.11.2025 प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया

कि प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे थाना चौरी के हेड मुहर्रिर द्वारा अक्षरशः तहरीर किया है और जो वादी मुकदमा द्वारा तहरीर मुकदमा थाना चौरी में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दी गयी है, उनमें भिन्नता है। तहरीरी रिपोर्ट साक्षी के मुख्य परीक्षा के समय पत्रावली में नहीं थी। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर न मिलने पर जिसे बाद में फर्जी तहरीर लिखाकर पत्रावली में प्रदर्श–क–1 के रूप में साबित करने का प्रयास किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चोट के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी संख्या 1 से उक्त के सम्बन्ध में जिरह किया जाना सहवन छूट गया है। अतः प्रार्थी द्वारा साक्षी मुन्ना पाठक का निम्न प्रश्नो पर पुनः जिरह करने हेतु अवसर दिये जाने की याचना की गयी–

1. तहरीरी रिपोर्ट में लिखी बाते सही या गलत ?
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल जो थाने से रिपोर्टकर्ता को प्राप्त करायी गयी वह सही है या गलत?
3. हेड० का० थाना चौरी यह बताये कि तहरीरी रिपोर्ट आपने अक्षरः टाइप काराया है गलत टाइप कराया है?
4. चोटहिल वादी यह बताये कि आपको दोनो अभियुक्तगण ने मारा है या नही ?

3. उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विद्वान विचारण /मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियोजन पक्ष एवं उनकी सहायता हेतु वादी मुकदमा के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा सन् 2017 का है, जिसमें दिनांक 16.03.2019 को आरोप न्यायालय द्वारा विरचित किया गया था। आरोप विरचित होने के उपरान्त सभी अभियोजन साक्षीगण का बयान अंकित किया जा चुका है। अभियुक्त पक्ष द्वारा वाद को विलम्बित करने के आशय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व औचित्यहीन होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्षित करते हुए कि वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांकित 13.11.2025 में चार प्रस्तावित प्रश्न अंकित किये गये हैं, जिनमें से प्रश्न संख्या 1 व 4 ही मात्र पी.डब्लू.1 से संबंधित हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में पी०डब्लू० 1 से प्रस्तावित प्रश्न के संबंध में न्यायोचित आधार पाते हुए प्रार्थनापत्र दिनांकित 13.11.2025 अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता मात्र पी.डब्लू.1 के संदर्भ में, स्वीकार किया। उक्त आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर यह फौजदारी पुनरीक्षण संस्थित किया गया है।

5. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आधार पुनरीक्षण व तर्क में यह अभिकथन किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 16.02.2026 को पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के

प्रार्थनापत्र दिनांक 13.11.2025 अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन न करके त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय में विचारणीय मुकदमा उपरोक्त में साक्षी पी.डब्लू.1 मुन्ना पाठक को उनसे जिरह करने हेतु दो बिन्दुओं पर तलब किया है, जिन प्रश्नों के उत्तर हेतु साक्षी को तलब किया गया है, उनके बारे में पूर्व में जिरह की जा चुकी है और उत्तर भी साक्ष्य में मौजूद है , किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा उसकी अनदेखी कर विधिक भूल की गयी है। साक्षी पी.डब्लू.1 को अभियुक्त के प्रार्थनापत्र धारा 311 सी.आर.पी.सी. के प्रश्न संख्या 1 में तहरीरी रिपोर्ट में लिखी बातें सही या गलत है, का उत्तर साक्षी द्वारा पूर्व में की गयी जिरह दिनांक 25.11.2019 की मुख्य परीक्षा के पेज संख्या 2 की शुरू से चौथी लाईन में दिया जा चुका है, जिसका विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा अवलोकन न कर विधिक भूल की गयी है। अभियुक्त के प्रार्थनापत्र पर साक्षी पी .डब्लू.1 से प्रश्न संख्या 4 पर "चोटहिल वादी यह बताये कि आप को दोनों अभियुक्तों ने मारा नहीं " की जिरह हेतु विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, जबकि साक्षी पी.डब्लू.1 के जिरह में पेज संख्या 1 पर लाइन 8 से 14 में साक्षी का स्पष्ट उत्तर है कि उसे दोनों अभियुक्तों द्वारा मारा पीटा गया है। इस बिन्दु पर भी विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य को पढ़े व न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग बिना किये विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर साक्ष्य में छेड़छाड़ करके मुकदमा के साक्ष्य को दूषित करने की नीयत से प्रार्थनापत्र देकर विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय में झूठा प्रार्थनापत्र दाखिल कर विधि विरूद्ध आदेश प्राप्त कर लिया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.02.2026 में पूर्व में पी.डब्लू.1 द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य का गंभीरता से बिना अवलोकन किये जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है, जबकि दोनों प्रश्नों के उत्तर के पूर्व के बयान में ही निहित है और दोबारा उसी प्रश्न हेतु अभियुक्तगण को अवसर दिया जाना कानूनन सही नहीं है। पत्रावली में धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्तगण का बयान अंकित किया जा चुका है। अतः फौजदारी पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर विद्वान मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.02.2026 निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. विपक्षीगण मोनू उर्फ सौरभ व जगदीश पाठक की ओर से आपत्ति कागज संख्या 15 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना चौरी में तहरीर देकर दर्ज करायी थी, वह संज्ञेय अपराध में दर्ज की गयी थी।

वह हे० मोहर्रिर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज की गयी थी, जो विधानतः 24 घण्टे के अन्दर न्यायालय प्रेषित कर दी जाती है और तहरीर रिपोर्ट साथ संलग्न रहती है। तहरीरी रिपोर्ट, जिसे वादी मुकदमा ने लिखकर थाना चौरी पर दिया था, वह थाना अथवा जी.डी. के साथ संलग्न नहीं रहती है। तहरीरी रिपोर्ट वादी मुकदमा के साक्ष्य देने के समय पत्रावली में नहीं थी, साक्ष्य की कार्यवाही चलती रही और तहरीरी रिपोर्ट तलब किये जाने का वादी द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया, जिसे न्यायालय ने तलब किया। तहरीरी रिपोर्ट वादी का थाना में रहने अथवा जी.डी. में संलग्न किये जाने का कोई नियम व कानून नहीं है, लिहाजा वादी द्वारा फर्जी तौर पर तहरीरी रिपोर्ट तैयार करके उसे पुलिस थाना चौरी के माध्यम से पुलिस को साजिश में कर न्यायालय में प्रेषित कर साक्षी को रिकाल कर साबित कराया गया। फर्जी तहरीरी रिपोर्ट जो वादी ने साजिश कर बैक डेट में तैयार किया/कराया तथा उसमें हेड मोहर्रिर थाना चौरी ने जो अक्षरशः रिपोर्ट तहरीर के आधार पर लिखा, उसमें भिन्नता है। न्यायालय ने अभियुक्तगण के प्रार्थनापत्र पर इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन गंभीरतापूर्वक करके प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.02.2026 विधिक रूप से सही पारित किया है । वादी/ पुनरीक्षणकर्ता स्वयं द्वारा की गयी कूटरचना से बचने के लिये पुनरीक्षण दाखिल किया गया है। अतः आपत्ति स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दाखिल पुनरीक्षण निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सूची 7ख से नकल सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांकित–16.02.2026 न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/त्वरित न्यायालय भदोही, फौजदारी मुकदमा सं० 4091/2017 सरकार बनाम मोनू उर्फ सौरभ, कागज संख्या 8ख/1 लगायत 8ख/3 एवं छायाप्रति आधार कार्ड पुनरीक्षणकर्ता मुन्ना पाठक कागज संख्या 9ख दाखिल किया गया।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क को सुना एवं प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.02.2026 व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का परिशीलन किया।

9. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 311 दं० प्र० सं० स्वीकार कर विधिक भूल की है, क्योंकि जिन बिन्दुओं पर अभियुक्त पक्ष की ओर से जिरह किया जाना कहा गया है, उन बिन्दुओं पर पूर्व में ही जिरह की जा चुकी है और उनके उत्तर भी साक्ष्य में मौजूद हैं, किन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्यों का सम्यक/गंभीरता से परिशीलन किये बिना आदेश पारित किया है। अतः प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पारित किया है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/प्रपत्रों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिनुकूल है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, पुनरीक्षण बलहीन है। अतः निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों, आधार पुनरीक्षण तथा तलबशुदा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों/साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिनांकित 13.11.2025 प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से थाना चौरी के हेड मोहर्रिर द्वारा अक्षरशः तहरीर किया है और जो वादी मुकदमा द्वारा तहरीर मुकदमा थाना चौरी में रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दी गयी है, उसमें भिन्नता है। तहरीरी रिपोर्ट साक्षी के मुख्य परीक्षा के समय पत्रावली में नहीं था। वादी द्वारा दी गयी तहरीर न मिलने पर बाद में फर्जी तहरीर लिखाकर पत्रावली में प्रदर्श क 1 के रूप में साबित करने का प्रयास किया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चोट के संबंध में अभियोजन साक्षी संख्या 1 से जिरह की अनुमति चाही गयी थी। उक्त प्रार्थनापत्र विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत कर आधार पुनरीक्षण के प्रस्तर 4 में यह कहा गया है कि अभियुक्त के प्रार्थनापत्र धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रश्न संख्या 1 में तहरीरी रिपोर्ट में लिखी बातें सही हैं या गलत, का उत्तर साक्षी पी0 डब्लू0 1 द्वारा की गयी जिरह दिनांकित 25.11.2019 की मुख्य परीक्षा के पेज संख्या 2 की शुरू से चौथी लाइन में दिया जा चुका है। उक्त के प्रकाश में मैंने साक्षी पी 0 डब्लू0 1 द्वारा की गयी जिरह दिनांकित 25.11.2019 की मुख्य परीक्षा के पेज संख्या 2 की शुरू से चौथी लाइन का अवलोकन किया, मुख्य परीक्षा में साक्षी पी0 डब्लू0 1 मुन्ना पाठक ने तहरीर दूसरे से लिखाकर देना तथा तहरीर पर अपने हस्ताक्षर कहा तथा तहरीर में लिखी बातों को सुनकर तस्दीक किया, लेकिन उक्त बिन्दु पर जिरह किया जाना दर्शित नहीं होता है। इसी क्रम में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आधार पुनरीक्षण के प्रस्तर 5 में यह अंकित किया गया है कि साक्षी पी0 डब्लू0 1 से प्रश्न संख्या 4 कि "चोटहिल/वादी यह बताये कि उसे दोनों अभियुक्तों ने मारा कि नहीं?" की जिरह हेतु तलब किया गया है, जबकि साक्षी पी0 डब्लू0 1 की जिरह के पेज संख्या 1 की लाइन 8 से 14 में साक्षी का स्पष्ट उत्तर है कि दोनों

अभियुक्तों द्वारा मारा पीटा गया है। उक्त आधार/तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी पी0 डब्लू0 1 के जिरह के दिनांक 27.01.2020 पेज संख्या 1 लाइन 8 से 14 का परिशीलन करने से उक्त बिन्दु पर भी जिरह किया जाना दर्शित नहीं होता है।

11. यद्यपि कि मूल पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी पी0 डब्लू0 1 मुन्ना पाठक के जिरह दिनांकित 28.09.2021 के पेज संख्या 7 पर यह आया है कि "मैंने दरोगा जी को यह बात बताया था कि जगदीश पाठक के ललकारने पर मोनू उर्फ सौरभ पाठक ने फावड़े से मेरे चेहरे पर वार किया था। मेरे बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में दरोगा जी ने यह बात नहीं लिखी है, इसकी वजह नहीं बता सकता। मैंने दरोगा जी को बताया था कि हाथ मुक्का से जगदीश पाठक ने बुरी तरह से मारा पीटा था।"

12. उपरोक्त के अतिरिक्त अभियुक्त पक्ष की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. नंबर 40611 सन् 2025 जगदीश पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10.11.2025 के अनुक्रम में ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है,माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का उल्लेख विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश में किया है।

13. उपरोक्त विवेचन के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पायी जाती है, जिससे प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण बलहीन है, अतः पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

14. प्रश्नगत पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ वापस भेजी जाए।

दिनांक–10.07.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.UP 5725

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10.07.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.07.10 16:18:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court